संख्या एक/33वीं/स्था.2/न्यायिक जाँच/कॉ.(जी.डी.) अजय प्रताप भदौरिया/2024- 5087

कार्यालय सेनानी 33वीं वाहिनी/भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
गृह मंत्रालय, (भारत सरकार)
ग्राम-करछिया (जोगदल), पो.ओ.-सोनापुर, जिला-कामरूप (मैट्रो) (असम)-782402
फोन/फैक्स न. 0361-2999685/ई-मेल itcell33rdbn@itbp.gov.in

दिनांकः 04/12/24

नोटिस

दल संख्या 170080395 कॉ./जी.डी. अजय प्रताप सिंह भदौरिया पुत्र श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया, गॉव- कुमरौआ, पोस्ट आफिस- भिंड, पुलिस स्टेशन- भिंड, तहसील- भिंड, जिला- भिंड (मध्य प्रदेश) पिन कोड 477001 को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको जे.ई.बी.-2024 में महानिदेशालय के आदेश संख्या 13252-13365 दिनांक 04.03.2024 के तहत 33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल में हुये स्थाई स्थानान्तरण के अनुपालना में दिनांक 30.06.2024 (अप्रा.) को 42वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल से 33वीं वाहिनी भा.ति.सी. पुलिस बल के लिए प्रस्थान किया था जिसके फलस्वरूप आपको नियमानुसार यात्राकाल ग्रहण करने के उपरांत दिनांक 17.07.2024 (अप्रा.) को 33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल में देनी थी परन्तु आपके द्वारा नियत तिथि तक अपनी आमद 33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल में नहीं दी गयी है तथा आाप बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से दिनांक 17.07.2024 (अप्रा.) से अनुपस्थित चल रहे है। इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 3787 दिनांक 03.08.2024 के तहत आपको अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय में देने हेतु निर्देया दिये गये है, परंतु आप वाहिनी मुख्यालय में आमद नहीं हुये। इसके अलावा भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 72 एवं 73 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 658 दिनांक 04.09.2024 के तहत पुलिस अधीक्षक, जिला-भिण्ड (मध्य प्रदेश) को आपको गिरफ्तार कर 33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल को सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया परंतु पुलिस द्वारा अभी तक आपको इस वाहिनी के सुपुर्द नहीं किया गया है।

2. आपके दिनांक 17.07.2024 (अप्राह) से लगातार अनुपस्थित रहने पर भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 74 (1) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत इस वाहिनी के कार्यालय आदेश संख्या 4499 दिनांक 04.10.2024 के अनुसार एक न्यायिक जाँच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जाँच समिति की राय एवं संस्तुति के आधार पर आपको भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 74 (2) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार 33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस के आदेश संख्या 4886 दिनांक 07.11.2024 के अनुसार अनुपस्थित होने की तिथि 17.07.2024 से बल से "भगौड़ा" घोषित कर दिया गया है, जिसकी प्रति आपके स्थाई पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 5086....दिनांक 04/12/24.के तहत आपको कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) भी जारी किया गया है।

3. दल संख्या 170080395 कॉ./जी.डी. अजय प्रताप सिंह भदौरिया पुत्र श्री रविन्द्र सिंह भदौरिया को पुनः सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर ड्यूटी हेतु अपनी आमद 33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल, सोनापुर (असम) में दें अथवा अपने बचाव पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा आपको "सेवा से बर्खास्त" कर दिया जायेगा।

सेनानी
33वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस

CBC 19112/11/0169/2425